राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
89वीं बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2024

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 89वीं बैठक दिनांक 11 जुलाई, 2024 को अपर मुख्य सचिव, वित्त, उतराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अपर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, अपर सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधोग, अपर सचिव, समाज कल्याण, अपर सचिव, राजस्व, अपर सचिव, पर्यटन, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उतराखण्ड शासन, एस.एस.पी. एस.टी.एफ., रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक, अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एसोसिएशन, उत्तराखण्ड, नोडल अधिकारी एवं राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

1. 88वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 88वीं बैठक दिनांक 12 मार्च 2024 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है, जिसकी पुष्टि उप–समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान लिया गया है।

2. ऋण–जमा अनुपात :

राज्य का ऋण–जमा अनुपात मार्च 2024 मे मार्च 2023 के समान 54 प्रतिशत है, जिसे और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । हालांकि, छह जिलों के बारे में चिंता व्यक्त की गई जहां सीडी अनुपात 40 प्रतिशत से कम था। अध्यक्ष महोदय ने कम सीडी अनुपात के कारणों की पहचान करने के निर्देश दिए और सुझाव दिया कि सीडी अनुपात में सुधार के लिए उप–समिति की बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाए। कम सीडी अनुपात वाले जिलो कें अग्रणी जिला प्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. की बैठक में प्रतिभाग करे एवं क्षेत्र अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु विभिन्न गतिविधियों से अवगत करायें। अग्रणी जिला प्रबन्धक डी.एल.आर.सी. की बैठक में ऋण–जमा अनुपात बढ़ाये जाने विषयक चर्चा करें तथा sector wise data एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक/समस्त बैंक)

3. वार्षिक ऋण योजना 2023–24 :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - वित्तीय वर्ष 2023–24 के चतुर्थ त्रैमास तक फार्म सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 13146.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 11022.00 करोड़ (84%) तथा एम.एस.एम.ई. सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 17506.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 21950.00 करोड़ (125%) की प्रगति दर्ज की गयी है।
  - वित्तीय वर्ष 2023–24 के चतुर्थ त्रैमास तक वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 34939.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 37693.00 करोड़ (108 %) की प्रगति दर्ज की गयी है।

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 02/08/2024 1

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है :

➢ अन्य सेक्टर की प्रगति की तुलना में फार्म सेक्टर अंतर्गत प्रगति कम है, जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अतः समस्त बैंक इस क्षेत्र में प्रगति हेतु कार्य करें।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक/एस.एल.बी.सी.)

4. वार्षिक ऋण योजना 2024–25 :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक ऋण योजना **₹ 34938.96** करोड़ में **₹ 7332.77 करोड़ (20.98%)** की बृद्धि कर, वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक ऋण योजना **₹ 42271.73 करोड़** की गयी है।

- वित्तीय वर्ष **2024-25** हेतु एम.एस.एम.ई. सेक्टर अंतर्गत **₹ 17505.71** करोड़ के प्रस्तावित लक्ष्य को **₹ 4898.68** करोड़ बढ़ाकर **₹ 22404.39** करोड़ करने हेतु सदन द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी है।
- उक्त विषयक चर्चा उपरांत सदन द्वारा सर्व सम्मति से **वार्षिक ऋण योजना 2024-25 ₹ 42271.73 करोड़** का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक/एस.एल.बी.सी.)

5. Business Correspondents :

➢ बी.सी. सर्टिफिकेशन कोर्स विषयक चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे उनके द्वारा नियुक्त बी.सी. को Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) सर्टिफिकेशन कोर्स यथाशीघ्र निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करायें एवं In-Active बी.सी. को अविलम्ब Active करें।

➢ एक्सिस बैंक प्राथमिकता पर In-Active बी.सी. को Active करें।

(कार्यवाही : संबन्धित बैंक)

6. बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गांव :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 15 गांवों में सें 10 गांव जहाँ पर विधुत आपुर्ति नहीं थी, उनमे से 9 गांवो मे परिवारों की संख्या कम होने के कारण विद्युतिकरण की लागत अधिक आ रही है, अतः 09 गांवों को विधुत विभाग द्वारा सौर ऊर्जा सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है तथा 01 गावं (ग्राम कुटटी, जिला पिथौरागढ़) को शीघ्र ही विद्युत सुविधा प्रदान की जायेगी।

➢ दूरसंचार विभाग द्वारा बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित अवशेष 05 गांवों में दूरसंचार सुविधा हेतु USOF's को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है :

➢ बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित अवशेष 15 गांवों को आच्छादित किये जाने के लिए उक्त गांवों में विद्युत एवं दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करायी जाने हेतु सलाहकार बैंकिंग, एस.एल.बी.सी., दूरसंचार एवं यू.पी.सी.एल. (UPCL) के साथ बैठक का आयोजन करे।

(कार्यवाही : सलाहकार बैंकिग/ दूरसंचार विभाग/यू.पी.सी.एल.)

7. **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) :**

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :
  - वित्तीय वर्ष 2023–24 के चतुर्थ त्रैमास तक आरसेटी संस्थानों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 7238 के सापेक्ष 7505 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
  - प्रशिक्षण प्राप्त 5711 प्रशिक्षणार्थी settled हुये हैं।
  - इनमें से 3872 प्रशिक्षणार्थियों ने बैंकों से ऋण प्राप्त कर व्यवसाय प्रारम्भ किया है तथा 1839 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं के साधनो से अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है :
  - उघोगो की मांग के अनुसार RSETIs द्वारा उक्त कौशल मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाय ।

(कार्यवाही : RSETI)

8. **वित्तीय साक्षरता केन्द्र (FLC) :**

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :
  - वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा मार्च, 2024 त्रैमास तक वित्तीय साक्षरता हेतु 404 कैम्पों का आयोजन किया गया, जिसमें 11766 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

9. **कृषि ऋण :**

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :
  - वित्तीय वर्ष 2023–24 के चर्तुथ त्रैमास में बैंकों द्वारा 115713 के.सी.सी. निर्गत किये गये हैं, जिनमें रु. 2364.11 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है ।

10. **सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनायें :**

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - वित्तीय वर्ष 2023–24 के चतुर्थ त्रैमास तक **मुद्रा योजना** अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 2500 के सापेक्ष 308712 (रु. 3956.07 करोड) (158%) की प्रगति दर्ज की गयी है।
  - SCP-ST स्कीम अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 100 के सापेक्ष 100 (रु. 0.91 करोड) (100%) की प्रगति दर्ज की गयी है।
  - NULM स्कीम अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 750 के सापेक्ष 883 (रु. 12.86 करोड) (118%) की प्रगति दर्ज की गयी है।
  - NRLM स्कीम अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 30000 के सापेक्ष 30529 (102%) की प्रगति दर्ज की गयी है।
  - **पी.एम.ई.जी.पी.** योजना अंतर्गत मार्जिन मनी वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 41.37 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा रु. 41.40 करोड़ की राशि क्लेम की गयी है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 100% है।
  - MSY स्कीम अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 8000 के सापेक्ष 9546 (119%) की प्रगति दर्ज की गयी है।
  - Home Stay स्कीम अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 225 के सापेक्ष 235 (रु. 30.09 करोड) (105%) की प्रगति दर्ज की गयी है।

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 02/08/2024 1

- **वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** स्कीम अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 250 के सापेक्ष 288 (रु. 46.31 करोड) (112%) की प्रगति दर्ज की गयी है।
- PM SVANidhi स्कीम अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 40005 के सापेक्ष 34987 (87%) की प्रगति दर्ज की गयी है।
- सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न ऋण योजनाओं हेतु विभाग द्वारा प्राप्त निर्धारित लक्ष्य समस्त बैंको एवं अग्रणी जिला प्रबन्धकों को प्रेषित कर दिये गये हैं।
- समस्त सम्बन्धित विभागों से आग्रह है कि वे योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के 150 प्रतिशत ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

- अपर सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - होम स्टे योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत मानचित्र की मांग की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने हेतु राज्य में अधिकृत संस्था नहीं है, जिस कारण बैंक शाखाओं में अधिकांश ऋण आवेदन पत्र लम्बित हैं।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है :
  - पर्यटन विभाग, होम स्टे योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने विषयक आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राजस्व विभाग एवं आवास विभाग को पत्र प्रेषित करेंगे।
  - पी.एम. अजय योजना अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण एक माह में किया जाय ।
  - विभाग लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के डाटा बैंकवार, शाखावार एवं जिलेवार एस.एल.बी.सी. को प्रत्येक माह अनुवर्ती कार्यवाही (follow up) हेतु प्रेषित करें।

(कार्यवाही : संबन्धित विभाग / समस्त बैंक)

11. <u>लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (R.C.)</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा संबन्धित विभाग से आग्रह किया गया की आर.सी. वसूली में सहयोग प्रदान करे।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग)

12. <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)</u> :

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :
  - प्राकृतिक आपदा एवं कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुये कृषि विभाग, बीमा कम्पनी एवं बैंक अधिक से अधिक कृषकों की फसल का बीमा करें। कृषकों को बीमा योजनाओं के प्रति जागरुक करें तथा फसल बीमा से होने वाले लाभ से अवगत करायें। जिससे किसानों को आपदा के कारण हुये नुकसान की भरपायी हो सके एवं बैंक का ऋण खाता भी एन.पी.ए. ना हो।

(कार्यवाही : कृषि बीमा क० / समस्त बैंक)

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 02/08/2024 1

13. जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (DLRC) की बैठकों की आवृत्ति की समीक्षा :

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है की डीएलआरसी की बैठकें त्रैमासिक अंतराल में ही आयोजित की जाये।

14. Special Task Force (STF) के अनुरोध पर त्वरित समन्वय और समय पर प्रतिक्रिया हेतु बैंकों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

- एस.एस.पी. एसटीएफ द्वारा सुझाव दिया गया था कि Online/Cyber Fraud की स्थिति में बैंकों से समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु बैंकों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाय, जिससे कि किसी भी बैंक खाते में धनराशि को फ्रीज करना और बैंकों की ओर से अन्य आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जा सके।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है :

➢ एसटीएफ, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड के समन्वय मे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एच.डी.एफ.सी. एवं आई.सी. आई.सी.आई. बैंकों के साथ बैंठक का आयोजन करे।

(कार्यवाही : एसटीएफ/समस्त बैंक)

15. SHG Bank Linkage under DAY-NRLM योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति का गठन :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर सर्कुलर संख्या RBI/2024-25/20:FIDD.GSSD.CO.BC.No. 03/09.01.003/2024-25 Item no. 9(ii) दिनांक 16.04.2024 के निर्देशानुसार SHG Bank Linkage under DAY-NRLM योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति का गठन किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता SMD/CEO USRLM द्वारा की जायेगी तथा उप समिति की बैठक त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित की जायेगी।

➢ अध्यक्ष महोदय द्वारा उप–समिति के गठन को मंजुरी दी गयी।

➢ एस.एल.बी.सी. द्वारा उप–समिति के गठन के प्रस्ताव हेतु अपर मुख्य सचिव, वित्त को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी.)

16. स्वामित्व कार्ड :

- बैठक में स्वामित्व कार्ड विषयक चर्चा के दौरान सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया की राज्य में 2.78 लाख से ज्यादा स्वामित्व कार्ड जारी हो गये है किन्तु उक्त योजनान्तर्गत अभी तक किसी भी बैंक द्वारा SOP जारी नहीं किया गया है।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया है :
- पंचायती राज विभाग, Department of Financial Services (DFS), Ministry of finance, Government of India को इस आशय से पत्र प्रेषित करें की DFS सभी बैको को निर्देशित करें कि स्वामित्व कार्ड योजना विषयक सभी बैंक अपना Circular/SOP जारी करे।

(कार्यवाही : पंचायती राज विभाग)

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 02/08/2024 1

17. **CGTMSE** :

- बैठक में CGTMSE प्रतिनिधि द्वारा सदन के सम्मुख विस्तृत प्रस्तुति दी गयी, प्रस्तुति में निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल थे :

1. Increase in guarantee ceiling of coverage from **'₹ 200 lakh to ₹ 500 lakh'**.
2. Reduction in Annual Guarantee Fee (AGF) rate to as low as 0.37% per annum.
3. Waiver of legal action raised to **₹ 10 lakh** (effective April 1,2023).
4. Reduction in the lock-in-period from 18 months to 9 months for loans upto ₹ 10 lakh & tenure upto 36 months.
5. Introduction of 'Special Provision for the Informal Micro Enterprises (IME)' which are GST exempted under Credit Guarantee Scheme.
    - ❖ Guarantee for loan upto ₹ 20 lakh.
    - ❖ Registered on Udhyam Assist Platform (UAP).
    - ❖ Primary security is not pre-requisite.
    - ❖ Standard Rate of AGF upto ₹ 10 lakh – 0.37% & above ₹ 10 lakh upto ₹ 20 lakh – 0.45%..
    - ❖ Extent of guarantee coverage 85%.
    - ❖ Initiation of legal action not required for claim lodgment.

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA SLBC. AO-3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रशासनिक कार्या0-3

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 02/08/2024 1